Time - 03:55 PM to 04:00 PM

II--157 C.J

—

//अभियुक्त **सोड़ी भीमा, सोड़ी नंदा, हड़मा सोड़ी, माड़वी सुक्का** *के संबंध में //*

Witness No **.....14.....** for**.....अभियोजन साक्षी.....** Deposition taken the **....03.09.2022....** day of **.....शनिवार.....** Witness's apparent age – **.... 40 वर्ष .....** States on affirmation**.....शपथपूर्वक.....** my name is **..कमल मैरिषा.....** Son of **.....श्री महेश मैरिषा.....**occupation **.....उपनिरीक्षक.....** .address- **.थाना सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा, जिला दंतेवाड़ा (छ.ग.) .....**

——

टीप–राज्य की ओर से अति. लोक अभियोजक श्रीमती नीलिमा वर्मा उपस्थित।

01. मैं वर्ष 2019 से 12 जुलाई 2021 तक थाना अरनपुर में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

02. दिनांक 01.02.2020 को सूत्रों से पता चला था कि मोहन भास्कर पिता लखमा भास्कर निवासी नीलावाया की माओवादियों द्वारा हत्या की गई है, इस सूचना का तस्दीक करने के लिए मैं हमराह बल के साथ घटना स्थल ग्राम अरवे के चौक से लगभग 200 मीटर दूर पर पुलिया के पास गया था, वहां जाने पर मृतक मोहन भास्कर की बहन श्रीमती देवे मिली, उसने बताया कि दिनांक 30.01.2020 को उसका भाई मोहन भास्कर कहीं चला गया है, पता तलाश करने पर पता नहीं चला। दिनांक 01.02.2020 को मृतक मोहन भास्कर के दोस्त अमित ने उनसे फोन करके बताया कि मोहन का शव अरवे चौक से जाने वाले मार्ग के पुलिया के पास पड़ा है। मृतक की बहन ने यह भी बताया कि नक्सली सोना हेमला, धुरवा सोढ़ी, हिड़मा सोढ़ी अन्य नक्सलियों द्वारा उसके भाई मोहन भास्कर को मारकर फेंक दिया गया है, उक्त सूचना को मैंने देहाती नालसी के रूप में दर्ज किया है, जो **प्रदर्श पी.–02** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मृतक मोहन भास्कर के अकाल मृत्य के संबंध में मैंने मौके पर ही दिनांक 01.02.2020 को देहाती मर्ग इंटिमेशन दर्ज किया है, जो **प्रदर्श पी.–01** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। तत्पश्चात शव का पंचनामा हेतु गवाहो को धारा 175 का नोटिस दिया था, जो **प्रदर्श पी.–03** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

03. मृतक मोहन भास्कर के शव का पंचो के समक्ष पंचनामा तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी.–04** है। मृतक मोहन भास्कर के शव का परीक्षण कराने के लिए मैंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआकोण्डा भेजा था। आवेदन पत्र **प्रदर्श पी.–24** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

04. घटना स्थल से मैंने गवाहो के समक्ष खून आलूदा एवं सादी मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी.–06**, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उपनिरीक्षक संतोष हेमला द्वारा आरोपी भीमा सोढ़ी, सोढ़ी नंदा एवं महिला आरोपी माड़वी कोसी के पास से बरामद संपत्ति बताते हुये नक्सली सहित्य मेरे समक्ष पेश किया था, जिसे मैंने गवाहो के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी.–15** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

05. दिनांक 06.02.2020 को आरोपी सोढ़ी भीमा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने ग्राम पोटाली के आसपास लगाये गये आई.ई.डी. के बचत डेटोनेटर और बारूद को छुपा कर रखना और बरामद करना बताया था, मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी.–25** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

06. आरोपी भीमा सोढ़ी के द्वारा नीलावाया जंगल से निकालकर पेश करने पर मैंने गवाहो के समक्ष एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर एवं 100 ग्राम बारूद जप्त किया था, जप्ती पत्रक **प्रदर्श पी.–14** है, जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मोहन भास्कर के शव का परीक्षण करने के पश्चात उसके शरीर के विसरा की जांच करने के लिए चार बोतलों में शरीर के अंगो के टुकड़े भेजे गये थे, जिन्हें आरक्षक राजेन्द्र टोप्पो द्वारा लाकर मेरे समक्ष पेश करने पर मैंने जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो **प्रदर्श पी.–22** है, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

07. मामले के विवेचना के दौरान मैंने गवाह विश्वनाथ नाग, कुमाराम बेंजाम, अमित कुमार कवासी, देवे तेलाम, लखमा भास्कर, भूमे भास्कर, हेमलाल मंडावी के कथन उनके बताये अनुसार दर्ज किया था।

08. आरोपी भीमा सोढ़ी, नंदा सोढ़ी को गवाहो के समक्ष गिरफ्तार कर पंचनामा तैयार किया था, जो क्रमशः **प्रदर्श पी.–26 एवं 27** है, जिनके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

09. विवेचना पूर्ण कर मैंने अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था।

–:: प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अशोक जैन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण सोड़ी नंदा, हड़मा सोड़ी, माड़वी सुक्का, सोड़ी भीमा ::–

10. यह कहना सही है कि देहाती नालसी एवं प्रथम सूचना पत्र में आरोपीगण के रूप में जो नाम लिखे गये है, उनके पिता का नाम उनके आयु का कोई उल्लेख नहीं है।

11. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आरोपी सोढ़ी भीमा एवं नंदा सोढ़ी के गिरफ्तारी के पूर्व मैंने गवाहो से पहचान की कार्यवाही नहीं करवाया था। यह कहना गलत है कि गवाहो के बताये अनुसार मैंने देहाती नालसी एवं बयान दर्ज नहीं किया है।

12. यह कहना गलत है कि आरोपी सोढ़ी भीमा से पूछताछ कर कोई प्रकटिकरण कथन दर्ज नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने आरोपी सोढ़ी भीमा से **प्रदर्श पी.–14** में उल्लेखित कोई भी संपत्ति जप्त नहीं किया था।

13. यह कहना सही है कि जप्त संपत्ति को मैंने सीलबंद नहीं किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.–15 एवं 14 में उल्लेखित संपत्ति मैंने किसके अभिरक्षा में सौपा है उसके बारे में कोई दस्तावेज नहीं है। साक्षी स्वतः कहता है कि मैंने जप्त संपत्ति को थाना के मालखाना प्रभारी को सौंपा है।

14. यह कहना सही है कि जप्त संपत्ति मालखाना प्रभारी को दिये जाने के संबंध में मैंने कोई पावती प्राप्त नहीं किया है। यह कहना सही है कि जप्त सामाग्री को निष्क्रिय करने के लिए बी.डी.एस. प्रभारी को भेजने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है।

15. यह कहना गलत है कि आरोपीगण के विरूद्ध बिना अपराध सबूत पाये, गिरफ्तार किया है।

वाचित/ स्वीकृत।

सही/–
(शान्तनु कुमार देशलहरे)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (नक्सल), दंतेवाड़ा
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/–
(शान्तनु कुमार देशलहरे)
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायालय (नक्सल), दंतेवाड़ा
जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

साक्षी के हस्ताक्षर